UPCD010001632025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
उपस्थितः श्री विनय कुमार सिंह–III, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6068
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 24 सन् 2025

शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय तपेश्वरी बनाम राज्य।
मु.अ.सं. : 70 सन् 2010
धारा : 419,420,465,467,468,471,120बी भा.दं.सं.
थाना : चकिया, जनपदः चन्दौली।

दिनाँक : 11.02.2025,

थाना कोतवाली चकिया के मु.अ.सं. 70/2010, अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं., जनपद चन्दौली में अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय तपेश्वरी की ओर से अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र संख्या 24/2025 प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र मारकण्डेय प्रसाद, ग्राम बाघी, थाना नौगढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र 156(3)दं.प्र.सं. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चकिया में प्रस्तुत किया गया कि विपक्षीगण जालसाज, धोखेबाज, बेइमान किस्म के व्यक्ति है। आ.नं. 413मि./0.0038हे. रकबा 6 धूर स्थित मौजा बाघी, तहसील चकिया, चौहद्दी में उत्तर मकान शारदा देवी, दक्षिण नहर बादहू भूमि जंगल विभाग, पूरब नहर एवं पश्चिम सड़क का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाँक 14.10.1996 को अब्दुल लतीफ से प्रार्थी तथा उसके भाई प्रमोद कुमार तथा संदीप कुमार व राम सिंह के नाम से लिया गया। राम सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके अंश पर उनके कानूनी वारिस प्रमोद कुमार काबिज है तथा कागजात माल में भी सभी लोगो का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके परिवार के लोग काबिज दखिल होकर आबाद है। दिनाँक 14.10.2009 को उक्त वयशुदा भूमि से बेदखल करने की नियत से विपक्षीगण कब्ज लेना चाहे तो विपक्षी संख्या–1 व 2 के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा वाद सिविल जज (सी.डि.) चन्दौली के यहाँ दिनाँक 23.10.2009 को दाखिल किया गया, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ। उक्त भूमि का बैनामा होने के बाद विपक्षीगण द्वारा आपस में साजिश एवं षड़यन्त्र करके छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तहरीर करके उक्त बैनामा शुदा भूमि का चौहद्दी देकर एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बैनामा शारदा देवी द्वारा प्रार्थी की भूमि को अपने आप को मालिक होना जाहिर करके सुदामी देवी ने भी मिलकर अपने पक्ष में तहरीर कराकर और छल पूर्वक शारदा देवी को मालिक बनाकर सभी विपक्षीगण सब रजिस्ट्रार कार्यालय चकिया में पंजीकृत कराकर निष्पादित कराये और यह जानते हुए कि दस्तावेज बैनामा में वर्णित चौहद्दी की भूमि का बैनामा कूटरचित तरीके से तैयार है, उसे असली के रुप में प्रयोग में लाये। इस तथ्य की जानकारी होने थाने पर प्रार्थना–पत्र दिया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक, चन्दौली को रजिस्टर्ड डाक से पत्र दिया गया किन्तु

कार्यवाही नहीं हुई, जबकि प्रश्नगत अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः थानाध्यक्ष चकिया को आदेशित किया जाये कि मुकदमें में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करें।

अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और ना ही लम्बित है और ना ही निस्तारित हुई है। प्रार्थिनी को उक्त मुकदमें में गलत एवं फर्जी ढंग से अभियुक्ता बनाया गया है, जबकि अभियुक्ता निर्दोष है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को युक्ति–युक्त आशंका है कि थाना–चकिया की पुलिस उपरोक्त मुकदमें में उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। कथित अपराध धारा– 438 दं.प्र.सं. की उपधारा– 6 की परिधि में नहीं आता है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है। प्रार्थिनी आ.नं. 413ग की संक्रमणीय भूमिधर दस्तावेज विक्रय–पत्र तहरीर किये जाने के दिनाँक पर खतौनी में स्वामी के रुप में दर्ज है एवं सह–खातेदार के रुप में दर्ज है। प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में धारा– 482 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दाखिल किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 14.11.2017 को 6 सप्ताह के भीतर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया गया था लेकिन बीमारी से परेशान होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। सह–अभियुक्ता सुदामी देवी की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थिनी गृहणी महिला है। प्रार्थिनी 75 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा कई बीमारियों से पीड़ित है तथा वर्तमान समय में उसके आंख का आपरेशन हुआ है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो को माननने के लिए तैयार है तथा न्यायालय के आदेश पर पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का सहयोग करेगी। दौरान अग्रिम जमानत भारत वर्ष के बाहर नहीं जायेगी। उपरोक्त कथन करते हुए अभियुक्ता को अग्रिम जमानत दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान ए.डी.जी.सी. फौजदारी द्वारा अपराध को गम्भीर प्रकृति का होना कहते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

चूंकि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 438 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु धारा 438 उत्तर प्रदेश की संशोधन जो कि दिनांक 06.06.2019 से प्रभावी है, के सुसंगत उपबंधों का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्नवत हैः–

‘‘धारा 438. गिरफतारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निदेश (1) जहाँ किसी व्यक्ति को यह यह विश्वास करने का कारण हो कि उसकी किसी अजमानतीय अपराध किये जाने के अभियोग में गिरफतार किया जा सकता है, वहाँ वह इस धारा के अधीन अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफतारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाय, और यह कि न्यायालय, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करने के पश्चात अर्थातः–

(I) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता

(II) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध मे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

(III) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, और

(IV) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,

राज्य की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रि) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है जैसा कि, विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि, प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. संख्या 33731/2010 दाखिल किया गया था जिसमें कि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 14.11.2017 पारित करते हुए प्रार्थिनीगण को 6 सप्ताह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और न ही उसके द्वारा प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। तद्नुसार दिनाँक 06.02.2020 को न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया तथा बावजूद इसके प्रार्थिनी/अभियुक्ता के उपस्थित ना होने पर उसके विरुद्ध दिनाँक 03.01.2025 को धारा– 82 दं.प्र.सं. की आदेशिका जारी करने का आदेश भी पारित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से जान–बुझकर बच रहीं है। अतः इस आधार भी प्रार्थिनी का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था **शिवम बनाम स्टेट आफ यू.पी. क्रि. मि. एण्टीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन संख्या 2110/2021 निर्णय दिनाँकित 05.04.2021** के पैरा–43 को भी दृष्टिगत किया जाना समीचीन होगा जिसमें कि, पैरा–43 में वर्णित परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत दिये जाने से मना किया गया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी का मामला पैरा–43 में वर्णित परिस्थितियों में आता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र विधितः पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र के तहत कूटरचना कर गलत चौहद्दी दर्शित करते हुए वादी मुकदमा की जमीन का बैनामा सह–अभियुक्ता सुदामी देवी को कर दिया जाना कहा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि, सह–अभियुक्ता सुदामी देवी की अग्रिम जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है, हालांकि जमानत खारिजा आदेश 'पैरिटि' का आधार नहीं हो सकता। प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत अपराध धारा– 419, 420, 465, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के साथ धारा– 120बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत आपराधिक षड़यन्त्र से भी सम्बन्धित है। किसी आपराधिक षड़यन्त्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपराध में समान रुप से दायी होता है, चाहे उसकी भूमिका कुछ भी रही हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपराध को कारित करने में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की स्पष्ट संलिप्तता है।

चूंकि प्रस्तुत मामले का अपराध वर्ष 2010 का है। अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा– 438 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निस्तारण के आशय से प्रस्तुत किया गया है। धारा 438 दं.प्र.सं. के

अंतर्गत अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों के साथ यह भी महत्वपूर्ण तत्व है जिसे कि धारा 438(1) (IV) दं.प्र.सं. में भी उपबंधित किया गया है कि, आवेदक पर लगाये गये आरोप उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के आशय से होना चाहिये। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ धारा 438 (1)(IV) दं.प्र.सं. में उक्त तत्व का अभाव है।

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थिनी, अग्रिम जमानत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अस्तु प्रार्थिनी का अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय तपेश्वरी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक : 11.02.2025

(विनय कुमार सिंह-III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।
J.O.Code U.P. 6068